2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज देवीसिंह बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 21/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.02.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी देवीसिंह सोलंकी एडवोकेट पता फतहपोल गहलोतों की गली, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.10.18 में उसके द्वारा (1) पत्रावली 451/71 में तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 11.05.1975 में धारा 15 के तहत खातेदारी हक दिया गया नाम मुन्नीलाल पुत्र भोमाराम, भीमाराम पुत्र पिथाराम वगैरा को खातेदारी दी गई, के आदेष की प्रति प्रमाणित, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार जोधपुर) से आदिनांक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, जो खेदजनक है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	